अब्दुल गफार बनाम नियामत अलि
मुकदमा नम्बर 47/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/163

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा रोल के खाता संख्या 1020 में खसरा नम्बर 1522 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1545 रकबा 2.3553 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा रोल के खाता संख्या 1020 में खसरा नम्बर 1522 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1545 रकबा 2.3553 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम प्रार्थी अब्दुलगफार पुत्र महबूब हिस्सा 1/3 के स्थान पर रफीक उर्फ अब्दुलगफार पुत्र महबूब हिस्सा 1/3 जाति काजी सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.23 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner